क.रा.बी.नि.
ESIC

কর্মচারী রাজ্য বীমা নিগম
(শ্রম এবং কর্মসংস্থান মন্ত্রক, ভারত সরকার)
कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
Employee's State Insurance Corporation
(Ministry of Labour & Employment, Government of India)

सत्यमेव जयते

আঞ্চলিক কার্যালয়, কোলকাতা
পঞ্চদীপ ভবন, ৫/১ গ্রান্ট লেন, কোলকাতা-৭০০০১২
क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता
पंचदीप भवन, 5/1 ग्रांट लेन, कोलकाता- 700012
Regional Office, Kolkata
Panchdeep Bhawan, 5/1 Grant Lane, Kolkata-700012
फ़ो: 033 2236 4454-55, 033 2225 9236, Fax 033 2236 5279
E-mail: rd-westbengal@esic.nic.in Website: www.esic.nic.in

पत्र सं.-41-ए-49/11/1/2020-रा.भा. दिनांक- .05.26

परिपत्र

विषय-विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 151 वीं बैठक का कार्यवृत्त।

विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 151 वीं बैठक दिनांक-25.03.26 को अपराह्न 3.30 बजे क्षेत्रीय निदेशक(प्रभारी) की अध्यक्षता में सम्मेलन कक्ष में संपन्न हुई | इसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे-

क्र. सं.	नाम तथा पदनाम (सर्वश्री/श्रीमती)		हिंदी का ज्ञान	हिंदी में कार्य करने की प्रतिशतता
1	श्री अचिंत्य मंडल, क्षेत्रीय निदेशक(प्रभारी)	अध्यक्ष	कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त नहीं	60%
2	श्री प्रवीण कु. सहगल, संयुक्त निदेशक	सदस्य	प्रवीणता प्राप्त	60%
3	श्री सौभिक बसाक, उप निदेशक	सदस्य	कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त नहीं	50%
4	श्री संतोष कुमार, सहायक निदेशक	सदस्य	प्रवीणता प्राप्त	70%
5	श्री बिशाल बिपिन होरो, सहायक निदेशक	सदस्य	प्रवीणता प्राप्त	99%
6	श्री सुभन कान्त ठाकुर, सहायक निदेशक	सदस्य	प्रवीणता प्राप्त	90%
7	श्री पोलाकी कृष्ण राव, सहायक निदेशक	सदस्य	कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त	60%
8	श्री संजय कुमार घोष, निजी सचिव	सदस्य	कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त नहीं	50%
9	श्री दीपक पिंचा, अधीक्षक	सदस्य	प्रवीणता प्राप्त	80%
10	श्री अरिंदम हुई, अधीक्षक	सदस्य	कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त	60 %
11	श्री मनोज कुमार, अधीक्षक	सदस्य	प्रवीणता प्राप्त	90 %
12	श्री नवलेश कुमार, अधीक्षक	सदस्य	कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त	55 %
13	श्री राजीव मित्रा, अधीक्षक	सदस्य	कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त	60 %
14	श्री मनिमय घोष, अधीक्षक	सदस्य	कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त	50%
15	श्री अमिताभ चौधरी, अधीक्षक	सदस्य	कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त	50 %
16	श्री विद्युत धर, अधीक्षक	सदस्य	कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त	60%
17	श्रीमती दीति पाल, अधीक्षक	सदस्य	प्रवीणता प्राप्त	80%
18	श्री रमणी रंजन प्रधान, अधीक्षक	सदस्य	कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त	60 %
19	श्री अरिजीत गांगूली, अधीक्षक	सदस्य	प्रवीणता प्राप्त	60 %
20	श्री ओम प्रकाश चौधरी, अधीक्षक	सदस्य	प्रवीणता प्राप्त	80%
21	श्रीमती मीनू सरदार, उप निदेशक	सदस्य सचिव	प्रवीणता प्राप्त	100%

उपर्युक्त के अतिरिक्त इस बैठक में श्री सुजीत कुमार लाल प्रवर श्रेणी लिपिक, देवज्योति मृधा, सहायक, श्री रजनीश कुमार सहायक, श्री विश्वजीत चौधरी प्रवर श्रेणी लिपिकी, सुदीप दत्त सहायक, श्री रंजित कुमार सहायक.श्री अरूप कुमार चटोपाध्याय, अवर श्रेणी लिपिक तथा राजभाषा शाखा से सूश्री मालविका, कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी तथा श्री अभिषेक कुमार, बहुकार्य कार्मिक सहयोगार्थ उपस्थित थे।

सर्वप्रथम सदस्य सचिव, सुश्री मीनू सरदार, उप निदेशक राजभाषा ने विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष तथा सभी उपस्थित अधिकारियों व कर्मचारियों का स्वागत किया तथा विराकास की बैठक के आयोजन की उपयोगिता एवं महत्व की चर्चा की। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि राजभाषा का कार्यान्वयन हमारा दायित्व है और हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। सभी सदस्यों ने इस पर अपनी सहमति जाहिर की।

मद सं0. 1	पिछली बैठक के कार्यवृत की पुष्टि एवं लिए गए निर्णयों पर चर्चा

सदस्य सचिव ने समिति को बताया कि पिछली बैठक का कार्यवृत सभी संबंधितों को जारी कर दिया गया है । उक्त बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों एवं उनके संबंध में राजभाषा शाखा एवं अन्य संबंधित शाखाओं से अपेक्षित अनुवर्ती कार्रवाईयों पर सामूहिक चर्चा एवं सहमति से पिछली बैठक के कार्यवृत की पुष्टि की गई । सदस्य सचिव ने अपेक्षित अनुवर्ती कार्रवाईयों पर चर्चा करते हुए बताया कि पत्रिका का विमोचन किया जा चुका है तथा वितरण भी कर दिया गया है साथ ही उन्होंने सभी से अगले अंक हेतु रचनाएं देने का अनुरोध किया । इसके अलावा उन्होंने सूचित किया कि लक्ष्य अनुसार शाखाओं एवं शाखा कार्यालयों का राजभाषा निरीक्षण किया गया है ।

मद सं0. 2	हिंदी प्रशिक्षण एवं तिमाही प्रगति रिपोर्ट पर चर्चा

राजभाषा प्रयोग सम्बन्धी तिमाही प्रगति रिपोर्ट का शाखावार विवरण प्रस्तुत करते हुए सदस्य सचिव ने बताया कि आलोच्य तिमाही के दौरान इस कार्यालय के द्वारा निम्नानुसार हिंदी में मूल पत्राचार किया गया :

दिसंबर 2025 को समाप्त तिमाही				
क्षेत्र	हिंदी/द्विभाषी	अंग्रेजी	कुल	प्रतिशत
"क"	151	47	198	76.26
"ख"	00	00	00	00
"ग"	2876	1746	4622	62.22

'क' एवं 'ग' क्षेत्र को हिंदी में जारी मूल पत्राचार की प्रतिशतता क्रमशः 76.26 एवं 62.22 रही | पिछली तिमाही में "ख" क्षेत्र को कोई भी पत्र जारी नहीं किया गया है | अध्यक्ष महोदय ने इस पर कहा कि समेकित प्रतिशतता यह दर्शाती है कि लक्ष्य प्राप्त हो गया है परन्तु कुछ शाखाएं -जैसे विधि, राज्य चिकित्सा अधिकारी ककार्यालय, सतर्कता कार्यालय अभी भी लक्ष्य से पीछे हैं, इस पर ध्यान देना आवश्यक है । सदस्य-सचिव ने सूचित किया कि "वार्षिक कार्यक्रम" में निर्धारित लक्ष्यों में वृद्धि होने के कारण अब 60% पत्र हिंदी में ही जारी किया जाना अपेक्षित है तथा पिछली तिमाही में हमने यह लक्ष्य प्राप्त कर लिया है |

सदस्य-सचिव ने सूचित किया कि आलोच्य तिमाही के दौरान फाइलों पर कुल 42913 टिप्पणियाँ लिखी गई जिसमें से 27419 टिप्पणियाँ हिंदी में लिखी गई है जोकि निर्धारित लक्ष्य से अधिक है, जिसमें हितलाभ शाखा-।।, निरीक्षण समन्वय शाखा, बीमा शाखा-V, स्थापना-1, रोकड़, विधि, सामान्य , बीमा-1 एवं राज्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय शाखा द्वारा 75% से अधिक टिप्पणियाँ हिंदी में लिखी गई।

अध्यक्ष महोदय ने सभी अधिकारियों से अपनो अधीनस्थ कार्य कर रहे कर्मचारियों को हिंदी में कार्य करने हेतु प्रोत्साहित करने को कहा। उन्होंने यह भी कहा कि कर्मचारियों द्वारा फाईलों पर की गई टिप्पणी में होने वाली गलतियों को अधिकारी स्तर पर एक बार सूधार देने पर कर्मचारियों के टिप्पणी के स्तर में सूधार हो जाएगा। इसके लिए उन्होंने कार्यालय अधीक्षकों/अधिकारियों की कार्यशाला करने के भी निदेश दिए।

सदस्य-सचिव ने सूचित किया कि मुख्यालय ने कार्मिकों को प्रशिक्षित करा कर कार्यालय को राजभाषा नियम 10(4) के अंतर्गत अधिसूचित कराने का निदेश दिया है । इस पर सदस्य-सचिव ने कहा कि 80% कार्मिक जब हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तभी कार्यालय को अधिसूचित कराया जाता है । वर्त्तमान में 72% कार्मिकों को कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है । अतः यदि कार्यालय में प्रशिक्षण केंद्र खोला जाए तो अधिकाधिक कार्मिकों को प्रशिक्षित कराया जा सकता है । इस पर अध्यक्ष महोदय ने इस पर आगे की कार्रवाई करने हेतु निदेश दिए ।

मद संख्या 3	राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का अनुपालन।

सदस्य सचिव ने राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत कुल 14 प्रकार के दस्तावेजों का विस्तृत उल्लेख किया तथा बताया कि इसके अंतर्गत आने वाले सभी दस्तावेजों को हिंदी और अंग्रेज़ी में द्विभाषी जारी किया जाना अनिवार्य है| उन्होंने बताया कि आलोच्य तिमाही के दौरान जारी कुल 331 दस्तावेज हिंदी और अंग्रेज़ी में द्विभाषी जारी किए गए । अध्यक्ष महोदय ने बल देकर कहा कि प्रशासन शाखा द्वारा सभी प्रकार के आदेश द्विभाषी रूप में ही जारी किए जाएँ। इसमें कोई कोताही न बरती जाए। असुविधा की स्थिति में राजभाषा शाखा से मदद ली जाए। साथ ही मुख्यालय को भेजी जाने वाली रिपोर्टें द्विभाषी रूप में ही तैयार कराई जाए| उन्होंने बताया कि यह सांविधिक अनिवार्यता है अतः इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

मद संख्या 4	वार्षिक कार्यक्रम के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के संबंध में चर्चा।

सदस्य सचिव ने बताया कि राजभाषा विभाग द्वारा प्रतिवर्ष राजभाषा कार्यान्वयन सम्बन्धी लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। वर्ष 2025-26 का वार्षिक कार्यक्रम सभी शाखा कार्यालयों एवं शाखाओं को भेजे जा चुके हैं| निर्धारित लक्ष्यों पर विस्तार से चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि **वार्षिक कार्यक्रम** के मदों एवं उनके लक्ष्यों के प्रति सजग रहना हम सब की जिम्मेदारी है जिससे राजभाषा हिंदी का बेहतर कार्यान्वयन हो सके | अध्यक्ष महोदय ने **वार्षिक कार्यक्रम** के अंतर्गत आने वाले सभी मदों का गंभीरता से अनुपालन सुनिश्चित किए जाने के निदेश दिए |

मद संख्या 5	स्थापित जाँच बिंदुओं का अनुपालन।

सदस्य सचिव द्वारा स्थापित जाँच बिंदुओं तथा उनके अनुपालन के उत्तरदायित्व सम्बन्धी विस्तृत जानकारी दी गई| उन्होंने सदस्यों को अवगत कराया कि विभिन्न शाखाओं से जारी होने वाले पत्रों पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी की यह जिम्मेदारी है कि पत्र हिंदी में ही जारी किए जाएं| उन्होंने इस पर विशेष ध्यान देने का आग्रह किया| सदस्य सचिव ने बैठक को बताया कि सभी कार्यालय अधीक्षकों/अधिकारियों के कक्ष में लगाए जाने हेतु अद्यतन जांच बिन्दु संबंधी बोर्ड बनवाने हेतु सामान्य शाखा को मेल किया गया है परन्तु सामान्य शाखा द्वारा अब तक कार्रवाई नहीं की गई है। सामान्य शाखा के अधिकारी ने मेल पुनः भेजने का अनुरोध किया एवं उस पर अति शीघ्र कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

मद संख्या 6	राजभाषा नियम 1976 के नियम 5 का अनुपालन।

सदस्य सचिव ने अवगत कराया कि हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में ही दिए जाएं| इस संबंध में उन्होंने राजभाषा नियम 1976 के नियम 5 के बारे में बताया| सदस्य सचिव ने यह भी बताया कि नियम 5 का अनुपालन किया जा रहा है| अध्यक्ष महोदय ने सभी सदस्यों से राजभाषा नियम 1976 के नियम 5 का अनुपालन गंभीरता से करने का निदेश दिया| आलोच्य तिमाही के दौरान नियम 5 के संबंध में आंकड़े भी प्रस्तुत किए गए जिनमें प्राप्त हिंदी पत्रों की कुल संख्या 794 है जिसमें से 309 पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया गया एवं 485 पत्रों का जवाब दिया जाना अपेक्षित नहीं था। अतः उक्त नियम का उल्लंघन नहीं किया गया।

मद संख्या 7	अधीनस्थ कार्यालयों में हिंदी प्रयोग की स्थिति एवं आंकड़ों के सत्यापन की जिम्मेदारी/निगरानी।

सदस्य सचिव ने बताया कि कुछेक शाखा कार्यालयों का राजभाषायी निरीक्षण किया गया है | निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कार्यालयों में नियम-11 का अनुपालन हो रहा है, रजिस्टरों में मासिक सारांश आदि द्विभाषी रूप में उपलब्ध करा दिया गया है । अधिकतर विवरणी ऑनलाइन माध्यम से भेजी जाती है अतः वे अंग्रेजी में होते हैं । कुछ रिपोर्टों को द्विभाषी रूप में उपलब्ध करा दिया गया है, कुछ मानक मसौदे द्विभाषी रूप में उपलब्ध करा दिया गया है, साथ ही निदेश दिए गए कि सेवा पंजी में द्विभाषी रबर की मोहरों का प्रयोग कर प्रविष्टियाँ करें ।

मद संख्या 8	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय।

अध्यक्ष महोदय ने आई टी सेल को वेब साईट को अद्यतन करने तथा राजभाषा शाखा को वेबसाईट की द्विभाषीकरण करने में आई टी सेल को यथाअपेक्षित सहायता करने का निदेश दिया ।

अंत में अध्यक्ष महोदय एवं सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्रवाई समाप्त हुई|

Digitally signed by
Meenu Sardar
Date: 27-05-2026
15:34:42

उप निदेशक (रा.भा.)पूर्व उप अंचल

महत्वपूर्ण निर्णय :

मद	कार्रवाई
1) वेबसाईट को अद्यतन करना	आई सी टी शाखा
2) गृह-पत्रिका "उषा किरण" के अगले अंक के प्रकाशन हेतु सामग्री प्राप्त करना	राजभाषा शाखा
3) कार्यालय अधीक्षकों/सा.सु.अ के लिए कार्यशाला का आयोजन	राजभाषा शाखा
4) हिंदी प्रशिक्षण हेतु केंद्र	राजभाषा शाखा